



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1578]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2007/अग्रहायण 16, 1929

No. 1578]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2007/AGRAHAYANA 16, 1929

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2104(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, जून 2007 में हुए लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के निर्वाचन के मामले में अधिनियम की धारा 10क के अधीन विवाद का विनिश्चय करने के लिए एक अधिकरण की स्थापना करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

1. श्री पी. के. मल्होत्रा, —अध्यक्ष
संयुक्त सचिव और सरकारी
काउंसिल, विधि कार्य विभाग,
नई दिल्ली
2. श्री जुगल किशोर पुरी, —सदस्य
पूर्व सदस्य, केन्द्रीय परिषद्,
आईसीडब्ल्यूआई, प्लॉट सं. 3,
सेक्टर 22, गुडगांव-122017
3. श्री यू. सी. नाहटा, —सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक,
(पूर्वी क्षेत्र) कॉरपोरेट कार्य
मंत्रालय, कोलकाता।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 5/2/2007-सीएल-5]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

4911 GU/2007

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2007

S.O. 2104(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby establishes a Tribunal consisting of the following persons to decide the dispute under Section 10A of the Act in the matter of election to the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India held in June, 2007, namely :—

- (1) Shri P. K. Malhotra, —Presiding Officer
Joint Secretary and
Government Counsel,
Department of Legal
Affairs, New Delhi.
- (2) Shri Jugal Kishore Puri, —Member
Former Central Council
Member, ICWAI, Plot
No. 3, Sector 22,
Gurgaon-122017.
- (3) Shri U. C. Nahata, —Member
Regional Director,
(Eastern Region),
Ministry of Corporate
Affairs, Kolkata.

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/2/2007-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.